न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 131/2024 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती चन्द्रकला उर्फ चन्दा कृष्णावत पुत्री श्री धनसिंह जी धर्मपत्नी शम्भूसिंह कृष्णावत, निवासी 235, संजय गांधी नगर, सेक्टर नंबर 8, हिरण मगरी, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री शिवदानसिंह जी यदुवंशी, निवासी ब्रजवन्ता बाई की बाडी, शान्ति नगर, रूप सागर रोड़, उदयपुर (राज.)
2. प्रतापसिंह पिता स्वर्गीय श्री शिवदानसिंह जी यदुवंशी, निवासी ब्रजवन्ता बाई की बाडी, शान्ति नगर, रूप सागर रोड़, उदयपुर (राज.)
3. इन्द्रसिंह पिता स्वर्गीय श्री शिवदानसिंह जी यदुवंशी, निवासी ब्रजवन्ता बाई की बाडी, शान्ति नगर, रूप सागर रोड़, उदयपुर (राज.)
4. अमरसिंह पिता स्वर्गीय श्री शिवदानसिंह जी यदुवंशी, निवासी ब्रजवन्ता बाई की बाडी, शान्ति नगर, रूप सागर रोड़, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती कमला बाई पुत्री स्वर्गीय श्री शिवदानसिंह जी, निवासी 4/391, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती नर्मदा देवी पुत्री स्वर्गीय श्री शिवदानसिंह जी, निवासी 4/391, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती भगवती देवी पत्नी स्वर्गीय शक्तिसिंह पुत्री स्वर्गीय श्री शिवदानसिंह जी, निवासी 4/391, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
8. कुमारी रानु यदुवंशी पुत्री शक्तिसिंह पौत्री स्वर्गीय श्री शिवदानसिंह जी, निवासी 4/391, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
9. कुमारी सोनिया यदुवंशी पुत्री शक्तिसिंह पौत्री स्वर्गीय शिवदानसिंह जी, निवासी 4/391, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

10. कुमारी इतिश्री यदुवंशी पुत्री शक्तिसिंह पौत्री स्वर्गीय श्री शिवदानसिंह जी, निवासी 4/391, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती कान्ता कुंवर पुत्री स्वर्गीय श्री शिवदानसिंह जी, निवासी भोपमगरी, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 3, उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती ममता कुंवर पुत्री स्वर्गीय श्री शिवदानसिंह जी, निवासी 26, शिव कॉम्पलेक्स, डी.पी.एस. स्कूल के पास, भुवाणा बाई पास रोड़, उदयपुर।
13. चन्दनसिंह पुत्र श्री शिवदानसिंह जी, निवासी 4/391, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
14. गोविन्द सिंह ठाकुर पिता श्री बली सिंह ठाकुर, निवासी 7/4348, गले मण्डी कुम्हार सेहरी, सूरत (गुजरात)
15. श्रीमती गीता बेन पत्नी श्री मनीष कुमार, निवासी 7/4348, गले मण्डी कुम्हार सेहरी, सूरत (गुजरात)
16. ठाकुर प्रदीप सिंह पिता श्री गोविन्द सिंह, निवासी 7/4348, गले मण्डी कुम्हार सेहरी, सूरत (गुजरात)
17. श्रीमती योगिता सोनवाल पत्नी श्री चेतन कुमार पुत्री श्री गोविन्द सिंह, निवासी 7/4348, गले मण्डी कुम्हार सेहरी, सूरत (गुजरात)
18. श्रीमती ठाकुर प्रिया पुत्री श्री गोविन्द सिंह, निवासी 7/4348, गले मण्डी कुम्हार सेहरी, सूरत (गुजरात)
19. बलवन्तसिंह पिता श्री हीरालाल कोठारी, निवासी आकार कॉम्पलेक्स, युनिवर्सिटी रोड़, उदयपुर (राज.)
20. अमरसिंह पिता श्री शिवदानसिंह जी यदुवंशी, निवासी वृजन्ता बाई की बाडी, शान्ति नगर, रूप सागर रोड़, उदयपुर (राज.)
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) गिर्वा दि. 28.10.2[illegible]4 प्र[illegible]45/19

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :— 1— श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट

2— श्री हनुमान शर्मा अभिभाषक रे.सं. 1, 2, 4, 20

3— श्री अजयसिंह हाड़ा अभिभाषक रेस्पो.सं. 6 से 13

4— श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल अभिभाषक रे.सं. 14 से 18

5— श्री रोशनलाल जैन/भावेश जैन अभिभाषक रे.सं. 19

———::———

निर्णय **दिनांक 03—07—2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के होकर सजरा निम्नानुसार है :—

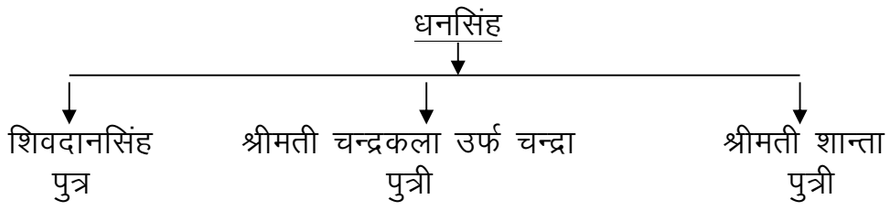

उक्त सजरे अनुसार मूल पुरूष धनसिंह थे, जिसका स्वर्गवास 25—04—2011 को हो चुका है, जिनके एक पुत्र शिवदानसिंह एवं दो पुत्रियां श्रीमती चन्द्रकला उर्फ चन्द्रा एवं श्रीमती शान्ता हुई। मौजा आयड़, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 751, 754 से 758 किता 6 रकबा 1.0200 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादिया का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार मौजा आयड में आराजी नंबर 759 से 764 कुल किता 6 रकबा 0.8550 हैक्टर भूमि में मृतक धनसिंह का 23/57 वॉ हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादिया का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजीयात में वादीया का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्से का तथा कलम संख्या 3 वर्णित धनसिंह के 23/57 हिस्से में वादीया का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 को 14/57 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर पक्षकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत का प्रतिदावा प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि धनसिंह जी ने अपने जीवनकाल में कभी कोई वसीयतनामा किसी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया। फिर भी यदि किसी ने फर्जी वसीयत तैयार करायी है तो उसके आधार पर किसी को काई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कियाजाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

3. प्रतिवादी संख्या 5 ने जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात के पूर्वाधिकारी धनसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् प्रतिवादी ने समस्त सामाजिक कार्य पूर्ण करने के बाद एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12–05–2011 को तहसीलदार गिर्वा के समक्ष धनसिंह द्वारा की गयी पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण कराने हेतु प्रस्तुत किया, जो तहसीलदार गिर्वा की पत्रावली क्रमांक 25/2011 दिनांक 25–06–2011 दर्ज किया गया। इसी बीच वादीया द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर दिया गया। वादीया ने जानबूझकर प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत होने के बावजूद उसे पक्षकार नहीं बनाया है। बाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पक्षकार बनाया गया है। स्वर्गीय धनसिंह ने उक्त जायदाद अपनी बहन नाथीबाई उर्फ ब्रजवंता बाई यदुवंशी से जरिये पंजीकृत वसीयत दिनांक 25–11–1996 से प्राप्त की है, जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के साथ–साथ वसीयत में वर्णित अन्य जायदाद धनसिंह जी को वसीयती उत्तराधिकारी में बहन नाथीबाई उर्फ बृजवन्ताबाई के स्वर्गवास दिनांक 22–02–2001 से प्राप्त हुई है। धनसिंह जी को अपनी जायदाद की वसीयत करने का पूरा अधिकार था, जिससे धनसिंह जी द्वारा एक पंजीकृत वसीयत से वादग्रस्त आराजियात के अतिरिक्त अन्य जायदाद की वसीयत प्रतिवादी उत्तरदाता के पक्ष में कर दी। ऐसी दशा में सजरे के आधार पर वादीया का दावा पोषणीय नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

व 2 को उक्त आराजियात में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः प्रतिवादी अमरसिंह को धनसिंह जी के रेकार्ड एवं हक हिस्से में वसीयत उत्तराधिकारी से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

4. वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के प्रतिदावे का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय के आदेश से प्रतिवादी संख्या 5 को पक्षकार बनाया गया, किन्तु विवादित आराजियात में उसका कोई हक व अधिकार नहीं है। अमरसिंह द्वारा फर्जी वसीयत के आधार पर उक्त भूमि में अपना हित अधिकार चाहा गया है, जबकि वसीयत के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया जा सकता। अतः प्रतिवादी का प्रतिदावा खारिज किया जावे।

5. प्रतिवादी संख्या 3 ने जवावदावा प्रस्तुत किया एवं विशेष कथन में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी का 34/57 हिस्सा बनता है। उस हिस्से का वर्षो पूर्व एस.डी.ओ. लैण्ड कन्वर्जन से भूमि को आबादी भूमि में संपरिवर्तन कराकर पट्टे प्राप्त कर लिए थे तथा उन प्लाटों पर मकानों का निर्माण भी वर्षो पूर्व हो गया है। उक्त भूमि में धनसिंह का जो 23/57 हिस्सा दर्ज है, उससे प्रतिवादी का कोई लेना देना नहीं है, उसे अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः वादीया का वाद प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध खारिज किया जावे।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद, जवाबदावे, व प्रतिदावे के आधार पर प्रकरण में कुल 9 तनकियां कायम की तथा दिनांक 28–10–2024 को तनकीवार विवेचन करते हुए वादीया का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिदावा खारिज कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 5 का प्रतिदावा स्वीकार करते हुए मौजा आयड़, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 751, 754 से 758 किता 6 रकबा 1.0200 हैक्टर भूमि में मृतक धनसिंह के बजाय प्रतिवादी संख्या 5 अमरसिंह को तथा मौजा आयड में आराजी नंबर 759 से 764 कुल किता 6 रकबा 0.8550 हैक्टर भूमि में मृतक धनसिंह के 23/57 हिस्सा का धनसिंह के बजाय प्रतिवादी संख्या 5 अमरसिंह पिता शिवदानसिंह यदुवंशी को खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया कि प्रतिवादी 5 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीया द्वारा यह अपील दिनांक 11–11–2024 को प्रस्तुत की गई है।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 4 व 20 की ओर से अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 13 की ओर से अभिभाषक श्री अजयसिंह हाड़ा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 से 18 की ओर से अभिभाषक श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 19 की ओर से अभिभाषक श्री रोशनलाल जैन एवं भावेश जैन उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि धनसिंह जी ने अपने जीवनकाल में कभी कोई वसीयतनामा किसी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया था। लगभग 10 वर्षो तक धनसिंह जी बीमार थे एवं उनकी दिमागी हाल खराब थी। तथाकथित वसीयत फर्जी बनायी गयी है, जिसके आधार पर किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त तथाकथित फर्जी वसीयत के आधार पर सम्पत्ति किसी को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है, न ही धनसिंह जी को वसीयत करने का अधिकार था। वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 अमरसिंह ने खातेदारी चाही है, जबकि राजस्व न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। तनकी नंबर 1 को साबिक कराने का भार अपीलान्ट/वादीया पर था, जिसके संबंध में यह निर्विवाद था कि वादग्रस्त भूमि धनसिंह जी की था तथा वादीया मृतक धनसिंह जी की पुत्री है, जिससे धनसिंह की जायदाद में उसका 1/3 हिस्सा जन्म से निहित है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी वादीया के विरूद्ध निर्णित कर दी। इसी प्रकार तनकी नंबर 2 का निर्णय भी वादीया के विरूद्ध कर दिया, जबकि वादीया अपने पिता के जीवनकाल से काबिज चली आ रही है। तनकी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 4 से 8 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 5 के हक में तय कर दिया, जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर उसका प्रतिदावा डिक्री किया है, जबकि वसीयत के आधार पर खातेदार अधिकार देने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। आर.एल.डब्ल्यू. 2021 एस.सी. (3) पेज 2291 अनुसार वसीयत को साबित कराने का भार वसीयतग्रहिता पर होता है एवं वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से साबित करना चाहिए, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त न्यायिक नजीर पर कोई ध्यान नहीं दिया। कानूनन राजस्व न्यायालय को वसीयत के संबंध में वसीयत की वैद्यता तय किये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इससे परे जाकर फर्जी वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 का प्रतिदावा डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ ने केवल वसीयत पंजीकृत होने को अपने निर्णय का आधार बनाया है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अनुसार वसीयत पंजीकृत है या सादे कागज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 241, आर.एल. डब्ल्यू. 2021 (3) पेज 229, आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 515, ए.आई.आर. 2009 सुप्रिम कोर्ट पेज 1389 एवं आर.एल.डब्ल्यू. 2010 (3) पेज 147 प्रस्तुत की एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए निरस्त करने एवं अपील स्वीकार कर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

9. रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से 18 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि स्वर्गीय धनसिंह जी की सम्पत्ति में उनके सभी वारिसों का हक व अधिकार निहित है। वसीयत के आधार पर घोषणा का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है, राजस्व न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती।

10. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 20 के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि वसीयत रजिस्टर्ड है तथा वह वसीयत के आधार पर मालिक काबिज है। आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 20 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकार बनाया गया है, जिस पर अन्य किसी भी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं की है। विवादित भूमि मौरूसी नहीं होकर धनसिंह जी की स्वअर्जित थी, जिससे उन्हें वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। वादीगण व अन्य प्रतिवादी वसीयत को फर्जी साबित नहीं करा पाये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 (अपीलान्ट संख्या 20) खातेदार काश्तकार घोषित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 848, आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 113, ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज 2552, ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज 233, आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 116, आर.आर.टी. 2020 (1) पेज 271, आर.आर.टी. 2020 (1) पेज 750 प्रस्तुत की।

11. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का गहनता से अध्ययन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 में विवादित आराजी नंबर 751, 754 से 758 किता 6 रकबा 1.0200 हैक्टर धनसिंह पिता मन्नालाल यदुवंशी के खातेदारी में दर्ज है तथा प्रदर्श 2 में अन्य आराजी नंबर 759 से 764 कुल किता 6 रकबा 0.8550 हैक्टर भूमि में धनसिंह पिता मन्नालाल का 23/57 वॉ हिस्सा दर्ज है। अपीलान्ट वादीया ने उक्त आराजियात को मौरूसी बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार अपना जन्म से हक अधिकार होना बताते हुए धनसिंह की पुत्री होने के आधार पर 1/3 हिस्से की खातेदारी चाही है, जबकि प्रतिवादी संख्या 5 अमरसिंह ने जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर धनसिंह द्वारा विवादित आराजियात की रजिस्टर्ड वसीयत 24–05–2003 को अपने पक्ष करना बताते हुए तथा धनसिंह को उक्त आराजियात अपनी बहन नाथीबाई से दिनांक 25–11–1986 को रजिस्टर्ड वसीयत से प्राप्त करना बताते हुए उक्त आराजियात की खातेदारी चाही है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श डी 2–ए रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 25–11–1986 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात की पूर्व स्वामी श्रीमती नाथीबाई उर्फ वृजवन्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

बाई पुत्री मन्नालाल होकर उसने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की रजिस्टर्ड वसीतय अपने छोटे भाई धनसिंह के पक्ष में की है। तत्पश्चात् धनसिंह द्वारा दिनांक 24–05–2003 को उक्त आराजियात की रजिस्टर्ड वसीयत अपने पौत्र अमरसिंह प्रतिवादी संख्या 5 अर्थात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 20 के पक्ष में की है, जो प्रदर्श डी 3–ए के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त दोनों वसीयत रजिस्टर्ड है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट/वादीया जब तक उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामे को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेती तब तक राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

अपीलान्ट ने हिन्दू उत्तराधिकार का हवाला देते हुआ पिता की सम्पत्ति में जन्म से अधिकार होना मानते हुए 1/3 हिस्से की खातेदारी चाही है, जो इस प्रकरण में लागू नहीं होता है, क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार यदि किसी हिन्दू पुरूष की निर्वसीयती अर्थात बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो ही प्राप्त होती है, लेकिन प्रश्नगत प्रकरण में रजिस्टर्ड वसीयत है। ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। वसीयत रजिस्टर्ड है तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 113 अनुसार रजिस्टर्ड वसीयत को अधीनस्थ न्यायालय अमान्य घोषित नहीं कर सकता।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक नजीर 2004 8 Supreme 1 Supreme Court of India द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि "Where there are suspicious circumstances regarding a Will onus is on the propounder to remove suspicion by appropriate evidence but burden to prove that Will was forged or that it was obtained under undue influence or coercion or by playing fraud is on person who alleges it to." वादिया/अपीलान्ट ने वसीयत को फर्जी प्रमाणित नहीं कराया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से 18 के अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि में धनसिंह के सभी वारिसों का हक व अधिकार है, लेकिन अमरसिंह अकेले ने वसीयत अपने नाम करवा ली, जबकि यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति की रजिस्टर्ड वसीयत को फर्जी होने का कथन करता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

तो यह दायित्व उस व्यक्ति पर है कि वह उक्त वसीयत को फर्जी प्रमाणित करावे। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से 18 अथवा अपीलान्ट द्वारा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय से फर्जी प्रमाणित नहीं करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कुल 9 तनकियां कायम की एवं प्रत्येक तनकी का उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादिया का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 2 का काउण्टर क्लेम खारिज करते हुए प्रतिवादी संख्या 5 का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर विवादित आराजियात को धनसिंह पिता मन्नालाल यदुवंशी के बजाय प्रतिवादी संख्या 5 अमरसिंह को खातेदार घोषित किया है, जो हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों की रोशनी में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

12. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03–07–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती चन्द्रकला उर्फ चन्दा कृष्णावत पत्नी शम्भूसिंह कृष्णावत, निवासी 235, संजय गांधी नगर, सेक्टर नंबर 8, हिरण मगरी, उदयपुर	बनाम	**श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व. शिवदानसिंह यदुवंशी, निवासी ब्रजवन्ता बाई की बाड़ी, शान्तिनगर, रूपसागर रोड़, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**131/2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.... .....**गिर्वा**... मुकाम.....मुवर्खे.....**28**.....माह.....**10**.....**2024**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**03**....माह.....**07**.....सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीष शर्मा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)....रूपये..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**03**.....माह.....**07**.....**2025**.....
को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा .. 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.20 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested